

**FORM OF ORDER SHEET**  
**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)**  
**[Arbitration Case No.-83/2024]**

**Dayanand Yadav.....Petitioner.**

**Versus**

**The State of Bihar .....Opposite Parties.**

| Serial No.                             | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Office action taken with date |            |                 |                 |                  |                     |                 |                  |           |                                        |      |          |      |           |           |           |           |                     |                                        |      |          |      |           |           |           |          |                     |  |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------------------------|------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------------|------|----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------|--|
| 1                                      | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                             |            |                 |                 |                  |                     |                 |                  |           |                                        |      |          |      |           |           |           |           |                     |                                        |      |          |      |           |           |           |          |                     |  |
|                                        | 29.7.2025                    | <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>यह Arbitration वाद राष्ट्रीय राजमार्ग-107 (महेशखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया) के सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण/फोरलाईन निर्माण हेतु मधेपुरा जिलान्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र, मुरलीगंज के वार्ड नं0-8/13 स्थित Petitioner के प्रश्नगत भूमि अर्जन की कार्यवाई में निर्धारित की गई मुआवजा राशि (Compensation Amount) के विरुद्ध National Highway Act,1956 की धारा 3G(5) के अंतर्गत दायर किया गया है।</p> <p>पंचाट के अनुसार प्रश्नगत जमीन के भू-अर्जन की विवरणी निम्नानुसार है:-</p> <table><tr><th>मौजा/थाना</th><th>खाता/खेसरा</th><th>रकबा (एकड़ में)</th><th>भूमि की प्रकृति</th><th>Date of 3A</th><th>Date of 3D</th><th>दर (प्रति एकड़)</th><th>कुल मुआवजा (रु0)</th><th>अभ्युक्ति</th></tr><tr><td>अधिसूचित क्षेत्र मुरलीगंज वार्ड नं0-13</td><td>4/43</td><td>0.437376</td><td>कृषि</td><td>17.6.2015</td><td>09.6.2016</td><td>13,39,500</td><td>14,93,956</td><td>LA Case No-01/15-16</td></tr><tr><td>अधिसूचित क्षेत्र मुरलीगंज वार्ड नं0-13</td><td>4/50</td><td>0.074132</td><td>कृषि</td><td>17.6.2015</td><td>09.6.2016</td><td>13,39,500</td><td>2,53,213</td><td>LA Case No-01/15-16</td></tr></table> <p>दिनांक-19.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख, वाद पत्र, DLAO, Madhepura (CALA) तथा P.D. NHAH (PIU), Purnea के विद्वान अधिवक्ता के जवाब तथा प्रश्नगत भूमि अर्जन से संबंधित कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना (NH-107) हेतु Petitioner के मुरलीगंज नगर पंचायत, वार्ड नं0-8 स्थित खाता संख्या-4, खेसरा सं0-43 एवं 50 की (कुल रकबा-38.15070 डी0) जमीन अधिग्रहित किया गया। तथा यह कि उक्त जमीन से NH बायपास रोड गुजरी है। उनका कहना है कि Petitioner द्वारा प्रश्नगत जमीन 3 रजिस्टर सेल डीड के माध्यम से दिनांक 02.7.1990 को पद्मा देवी, पति-स्व0 अनिरुद्ध यादव तथा उनके बेटे मनोज कुमार से आवासीय/व्यवसायिक कार्य हेतु क्रय किया गया, जिस पर उनके नाम से जमाबंदी संख्या-1133 कायम है तथा उनके द्वारा लगान जमा किया जा रहा है। तथा यह कि Petitioner द्वारा उक्त जमीन का प्रयोग Poultry Farm एवं Nursery जैसे व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि Petitioner के प्रश्नगत अर्जित भूमि का किस्म कृषि निर्धारित करना गलत है, जिसके लिए Petitioner के द्वारा दर निर्धारण के समय आपत्ति दर्ज किया गया, किन्तु उक्त आपत्ति पर बिना सुनवाई किये प्रश्नगत अर्जित जमीन का दर कृषि श्रेणी के रूप में निर्धारित कर दिया गया। तथा यह कि उसी नगर निकाय के दूसरे वार्ड में अधिग्रहित भूमि के लिए आवासीय श्रेणी के रूप में मुआवजे का निर्धारण करते हुए भुगतान किया गया है। सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा इनके प्रश्नगत भूमि की प्रकृति कृषि निर्धारित करते हुए मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जो सही नहीं है। तथा यह कि प्रश्नगत अर्जित भूमि का किस्म आवासीय/व्यवसायिक निर्धारित करते हुए तदनुसार मुआवजा राशि (Compensation Amount) भुगतान करने हेतु आदेश पारित किया जाय।</p> <p>विपक्षी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-139/भू.अ., दिनांक-13.6.2025 द्वारा जवाब दिया गया है कि N.H. Act. 1956 की धारा 3A के तहत प्रकाशित अधिसूचना में आपत्तिकर्ता की भूमि का किस्म कृषि प्रकाशित किया गया था, जिसपर भू-धारी द्वारा कोई आपत्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर दाखिल नहीं किया गया। तत्पश्चात् N.H. Act. 1956 की धारा 3D के तहत प्रकाशित अधिसूचना में आपत्तिकर्ता की भूमि का किस्म कृषि प्रकाशित किया गया। समाहर्ता के पत्रांक-508/भू0अ0 दिनांक-17.10.2016 के द्वारा छः सदस्यीय समिति गठित करते हुए कहा गया कि N.H.-107 मौजा-मुरलीगंज अधिसूचित क्षेत्र, वार्ड नं0-01 एवं 13 में अर्जनाधीन भूमि का स्वरूप 3D अधिसूचना में आवासीय एवं कृषि अधिघोषित है, जबकि उक्त अधिसूचित क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 2014-15 के M.V.R. में व्यवसायिक, आवासीय, विकसित एवं अविकसित श्रेणी ही निर्धारित है। इस क्रम में उक्त छः सदस्यीय समिति को भूमि का स्वरूप</p> | मौजा/थाना                     | खाता/खेसरा | रकबा (एकड़ में) | भूमि की प्रकृति | Date of 3A       | Date of 3D          | दर (प्रति एकड़) | कुल मुआवजा (रु0) | अभ्युक्ति | अधिसूचित क्षेत्र मुरलीगंज वार्ड नं0-13 | 4/43 | 0.437376 | कृषि | 17.6.2015 | 09.6.2016 | 13,39,500 | 14,93,956 | LA Case No-01/15-16 | अधिसूचित क्षेत्र मुरलीगंज वार्ड नं0-13 | 4/50 | 0.074132 | कृषि | 17.6.2015 | 09.6.2016 | 13,39,500 | 2,53,213 | LA Case No-01/15-16 |  |
| मौजा/थाना                              | खाता/खेसरा                   | रकबा (एकड़ में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भूमि की प्रकृति               | Date of 3A | Date of 3D      | दर (प्रति एकड़) | कुल मुआवजा (रु0) | अभ्युक्ति           |                 |                  |           |                                        |      |          |      |           |           |           |           |                     |                                        |      |          |      |           |           |           |          |                     |  |
| अधिसूचित क्षेत्र मुरलीगंज वार्ड नं0-13 | 4/43                         | 0.437376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कृषि                          | 17.6.2015  | 09.6.2016       | 13,39,500       | 14,93,956        | LA Case No-01/15-16 |                 |                  |           |                                        |      |          |      |           |           |           |           |                     |                                        |      |          |      |           |           |           |          |                     |  |
| अधिसूचित क्षेत्र मुरलीगंज वार्ड नं0-13 | 4/50                         | 0.074132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कृषि                          | 17.6.2015  | 09.6.2016       | 13,39,500       | 2,53,213         | LA Case No-01/15-16 |                 |                  |           |                                        |      |          |      |           |           |           |           |                     |                                        |      |          |      |           |           |           |          |                     |  |



29.7.2025

निर्धारण करने को कहा गया। समिति द्वारा पत्रांक-509 दिनांक-18.10.2016 द्वारा भूमि का स्वरूप संबंधी प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें कृषि भूमि को अविकसित श्रेणी का माना गया। तत्पश्चात दर निर्धारण किये जाने हेतु दिनांक-13.09.2019 को अपर समाहर्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में N.H.-107 परियोजना के लिए अंचल मुरलीगंज अन्तर्गत मौजा घाघा के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र मुरलीगंज के वार्ड नं0-01 एवं 13 में अर्जनाधीन भूमि का स्वरूप एवं मूल्य निर्धारण हेतु बैठक आयोजित हुई जिसमें मुरलीगंज वार्ड नं0-01 के कृषि भूमि का दर मो0-14,775/- प्रति डी0 तथा वार्ड नं0-13 के कृषि भूमि का दर मो0-13,395/- रु0 प्रति डी0 करने की अनुशंसा की गयी। तदालोक में समाहर्ता -सह- अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति, मधेपुरा द्वारा विषयगत भूमि को कृषि श्रेणी दर मुरलीगंज वार्ड नं0-01 का 14,775/- रु0 प्रति डी0 एवं वार्ड नं0-13 का 13,395/- रु0 प्रति डी0 दिनांक-17.06.2015 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया। इस क्रम में जिला अवर निबंधक -सह- सदस्य सचिव, जिला मूल्यांकन समिति, मधेपुरा ने अपने पत्रांक-450 दिनांक-31.10.2019 द्वारा कृषि दर दिनांक-17.06.2015 के प्रभाव से होने संबंधी सूचना जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक-293/भू0अ0 दिनांक-31.10.2019 द्वारा 3G का प्राक्कलन परियोजना निदेशक, NHA, बेगुसराय को भेजा गया। तत्क्रम में परियोजना निदेशक, NHA, बेगुसराय द्वारा अपने पत्रांक-378 दिनांक-22.02.2020 द्वारा मुरलीगंज वार्ड नं0-01 एवं 13 में कृषि/अविकसित भूमि हेतु क्रमशः 14,775/- रु0 प्रति डी0 एवं 13,395/- प्रति डी0 की दर से प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी।

विपक्षी NHA का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। Petitioner का अधिग्रहित भूमि मौजा-घाघा, खेसरा-43 एवं 50, नगर पंचायत-मुरलीगंज, वार्ड नं0-13, जिला-मधेपुरा के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण/चौड़ीकरण हेतु जारी अधिसूचना संख्या-1613E दिनांक-17.06.2015 के अनुसार कृषि श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। Petitioner का उक्त अधिग्रहित भूमि को व्यवसायिक श्रेणी में किया गया दावा गलत और अवैध है। Petitioner द्वारा N.H. Act.-1956 की धारा-3A (उपधारा-3) के तहत कोई आपत्ति नहीं की गयी। समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत भूमि के प्रकृति के आधार पर अधिग्रहित भूमि खेसरा सं0-43 एवं 50 का किस्म कृषि (अविकसित) पाया। तदनुसार दर का निर्धारण किया गया। तथा यह कि Petitioner द्वारा प्रश्नगत जमीन के मुआवजा के रूप में आवासीय/व्यवसायिक श्रेणी में राशि का दावा गलत एवं मनगढ़ंत है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत वाद खारिज योग्य बताया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हेतु अर्जित भूमि का किस्म/मुआवजा राशि का निर्धारण National Highway Act, 1956 एवं RFCTLARR Act (भू-अर्जन अधिनियम), 2013 की धारा-26 में निरूपित है।

National Highway Act, 1956 की धारा 3G(7) में वर्णित प्रावधान के अनुसार-

(7) The Competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section (1) or sub-section (5), as the case may be, shall take into consideration-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
- (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;
- (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;
- (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any incidental to such change.

RFCTLARR Act (भू-अर्जन अधिनियम), 2013 की धारा 26(1) के अनुसार-

Determination of market value of land by collector.- (1) The Collector shall adopt the following criteria in assessing and determining the market value of the land, namely:-

- (a) the market value, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, in the area, where the land is situated in the nearest village or nearest vicinity area; or
- (b) the average sale price for similar type of land situated in the nearest village or nearest vicinity area; or
- (c) consented amount of compensation as agreed upon under sub-section 2 in case of acquisition of lands for private companies or for public private partnership projects, Whichver is higher:

Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the notification has been issued under section 11.



29.7.2025

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा वाद पत्र, DLAO, Madhepura (CALA) तथा P.D. NHAI(P.I.U.), Purnea द्वारा दाखिल जवाब तथा अभिलेख में रक्षित प्रश्नगत भू-अर्जन से संबंधित कागजातों के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत होता है कि Petitioner की ओर से वाद पत्र के कंडिका- 5, 7(A), 12, 15, 18 एवं 20 में उठाये गये specific बिन्दुओं के संबंध में विपक्षी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा (CALA) तथा PD, NHAI (P.I.U.), Purnea द्वारा यथोचित जवाब अंकित नहीं किया गया है। कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत अर्जित जमीन नगर पंचायत, मुरलीगंज क्षेत्र अंतर्गत वार्ड सं०-13 में अवस्थित है। राष्ट्रीय उच्च पथ-107 परियोजना के लिये भूमि अर्जन से संबंधित 3A अधिसूचना का नोटिस दिनांक-17.6.2015 को प्रकाशित हुआ। National Highway Act, 1956 तथा RFCTLARR Act, 2013 के संगत प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण बाजार मूल्य (Market Value) पर किया जाना है। किसी भी जमीन/परिसम्पत्ति का Market Value सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित M.V.R. के आधार पर निर्धारित करने का मापदंड है। कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक अधिसूचना 3A (17.6.2015) में उक्त अर्जित जमीन की कोटि कृषि अंकित थी। दिनांक-18.10.2016 को Six Member Committee द्वारा स्थलीय जाँचोपरांत अधिग्रहित भूमि का किस्म अविकसित निर्धारित किया गया। तथा इसके उपरान्त DLAO (CALA) के स्तर से पंचाट प्रस्ताव अधियाची प्राधिकार (NHAI, Begusarai) को भेजा गया। जिसे अधियाची प्राधिकार (NHAI, Begusarai) के स्तर से आपत्ति लगाकर वापस कर दिया गया। अधियाची प्राधिकार के आपत्ति के आलोक में दिनांक-13.9.2019 को Six Member Committee द्वारा पुनः दर निर्धारण की कार्यवाही की गई जिसके आलोक में संशोधित पंचाट तैयार किया गया। जैसा कि Six Member Committee की उक्त बैठक दिनांक-13.9.2019 की कार्यवाही में अंकित है कि “परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., बेगुसराय के पत्रांक-10661 दिनांक-26.4.2019 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 (महेशखुँट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खण्ड) के मधेपुरा जिलान्तर्गत 02 मौजा यथा-मुरलीगंज वार्ड नं०-01 एवं मुरलीगंज वार्ड नं०-13 के 3(जी) प्राक्कलन में भूमि के किस्म जो कि 3(डी) के अनुसार कृषि/आवासीय/कब्रिस्तान/रास्ता है एवं जिसको छः सदस्यीय समिति द्वारा अविकसित/विकासशील/आवासीय किया गया है, पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पुनः समीक्षा हेतु वापस कर दिया गया है। साथ ही भूमि के किस्म को उपयोगिता के अनुसार कृषि/आवासीय/व्यवसायिक इत्यादि रखने का सुझाव दिया गया है।” कागजातों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वस्तुतः Six Member Committee द्वारा गुणदोष (Merit) के आधार पर Petitioner के अर्जित भूमि का किस्म/श्रेणी/दर निर्धारित करने के बजाय अधियाची प्राधिकार (NHAI) के मंतव्य/निदेश के अनुसार अधिग्रहित भूमि का किस्म/दर निर्धारित कर पंचाट तैयार कर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। यह कार्यवाही National Highway Act, 1956 तथा RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के विपरीत है। अधिग्रहित भूमि के कोटि/मुआवजा निर्धारण में अधियाची प्राधिकार के मंतव्य/निदेश का कोई प्रावधान नहीं है।

Petitioner द्वारा अपने वाद पत्र में अधिग्रहित जमीन को आवासीय/व्यवसायिक किस्म निर्धारित कर मुआवजा की मांग की गई है। किन्तु Petitioner की ओर से सुनवाई में प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि (17.6.2015) को अर्जित भूमि के आवासीय/व्यवसायिक श्रेणी का रहने के संबंध में अकाट्य साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक Findings के आधार पर Petitioner के प्रश्नगत अर्जित भूमि (खेसरा-43 एवं 50) का किस्म कृषि (अविकसित) श्रेणी में निर्धारण विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है। संगत विभागीय प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत अर्जित भूमि का नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित रहने तथा Established स्वरूप/Usage के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि (17.6.2015) को विकासशील श्रेणी का मानने का पर्याप्त आधार है।

अतः सुनवाई में उपस्थापित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर Petitioner के प्रश्नगत अर्जित भूमि का किस्म ‘कृषि (अविकसित)’ को Rectify करते हुए ‘विकासशील’ श्रेणी निर्धारित किया जाता है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा (CALA) को आदेश दिया जाता है कि Petitioner के प्रश्नगत अर्जित भूमि के लिए “विकासशील श्रेणी” के तत्समय अधिसूचित M.V.R. दर के अनुरूप मुआवजा का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। मुआवजा राशि की गणना में निर्धारित 12 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा 100 प्रतिशत Solatium के अनुसार Total Compensation Amount का निर्धारण करते हुए Petitioner को पूर्व में भुगतान किये गये मुआवजा राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि का भुगतान किया जाय।

उपरोक्त आदेश के साथ इस Arbitration वाद की Proceedings समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे।

Rye k.  
29/7/2025.  
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।  
-सह-Arbitrator.

लेखापित एवं शुद्धित।

Rye k.  
29/7/2025.  
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।  
-सह-Arbitrator.

